प्रेस विज्ञप्ति
3/6/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के करोड़ों रुपये के फर्जी बिल घोटाले से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तीन प्रमुख आरोपियों अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बदेरा को 01.06.2026 को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष हाजिर किया गया। माननीय न्यायालय ने आगे की जांच के लिए आरोपियों को 05.06.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने एमजी रोड पुलिस स्टेशन, इंदौर द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत फर्जी बिलों, जाली कार्य आदेशों, मनगढ़ंत रिकॉर्ड और अस्तित्वहीन परियोजना कार्यों के माध्यम से इंदौर नगर निगम के खजाने से धोखाधड़ी से धन निकालने से संबंधित मामले में दर्ज की गई कई एफआईआर और उनमें दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की है।

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि 2018 से 2023 की अवधि के दौरान, लगभग 119.53 करोड़ रुपये के फर्जी और जाली बिल इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के समक्ष पूरी तरह से अस्तित्वहीन कार्यों के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे। इन जाली और मनगढ़ंत बिलों के आधार पर, आईएमसी के खजाने से लगभग 86.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ीपूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया था। पीएमएलए, 2002 के तहत की गई आगे की जांच से पता चला है कि 2018 से पहले, इसी तरह की कार्यप्रणाली के माध्यम से लगभग 6.22 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया गया था। तदनुसार, धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 92.76 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध की आय के दायरे में आती है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने आईएमसी को फर्जी बिल जमा किए, जिन्हें बाद में उनके नियंत्रण वाली फर्मों को वितरित कर दिया गया। हालांकि, इन फर्मों ने भुगतान के बदले कोई वास्तविक कार्य नहीं किया, जिससे आईएमसी को अनुचित नुकसान हुआ और आरोपियों को अवैध लाभ हुआ।

आगे यह भी पता चला कि आईएमसी के तत्कालीन सहायक अभियंता अभय सिंह राठौर इस घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में उभरे और उन्होंने फर्जी कार्य आदेशों को तैयार करने और संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी कि ठेकेदार मोहम्मद जाकिर और राहुल बदेरा ने, अपनी स्वामित्व वाली और नियंत्रित फर्मों के माध्यम से, इंदौर नगर निगम के खजाने से फर्जी और जाली बिलों के बदले लगभग 71.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जो वर्तमान जांच का हिस्सा हैं। इस प्रकार उन्होंने ऐसे फर्जी बिलों की तैयारी, जमा करने और प्रसंस्करण में तथा बाद में साजिश में शामिल विभिन्न लाभार्थियों के बीच धोखाधड़ी की रकम के वितरण में सक्रिय भूमिका निभाई।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 22.04 करोड़ रुपये की नकदी और मूल्यवान वस्तुएं जब्त की गईं। इसके बाद, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 03.07.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से लगभग 34 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

अपराध से प्राप्त शेष धनराशि का पता लगाने, उससे अर्जित अतिरिक्त संपत्तियों की पहचान करने और धन के संपूर्ण लेन-देन का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।